



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)

Sugandha Bhavan

N.H. By-pass

P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन. एच. बाइपास

पी. बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्चिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या : 14/2021-22

दिनांक 26 नवंबर, 2021

परिपत्र

विषय : यूके तथा यूरोपीय संघ में मसालों व मसाला उत्पादों के निर्यात केलिए

शासकीय प्रमाणपत्र पर सलाह -बाबत

यूके के पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा स्पाइसेस बोर्ड को यूके को निर्यात किए गए मसालों और मसाला उत्पादों की खेप की उत्पाद पैकेजिंग और साथ के शासकीय प्रमाणपत्र के बीच बैच नंबर/लॉट नंबर (पहचान कोड) में लगातार बेमेल होने की घटनाओं के बारे में सूचित किया गया है।

शासकीय प्रमाणपत्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचानी गई सामान्य त्रुटियां नीचे दी गई हैं।

- प्रमाणपत्र/उत्पाद पैकेजिंग पर कोई बैच संख्या नहीं है
- प्रमाणपत्र पर एक से अधिक बैच संख्या
- प्रमाणपत्र/उत्पाद पैकेजिंग पर गलत बैच संख्या
- प्रमाणपत्र पर जो बैच संख्या है वह प्रयोगशाला रिपोर्ट पर दी गई बैच संख्या से मेल नहीं खाती

इस संबंध में यूके और यूरोपीय संघ (ईयू) में मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात के लिए शासकीय प्रमाणपत्रों में बैच संख्या (पहचान कोड) का उल्लेख करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन नोट जारी किए जाते हैं:

- प्रमाणपत्र में खेप के पहचान कोड का उल्लेख होना चाहिए।
- प्रति प्रमाणपत्र में केवल एक पहचान कोड होना चाहिए।
- पहचान कोड संलग्न प्रयोगशाला रिपोर्ट के कोड से मेल खाना चाहिए।
- प्रमाणपत्र और प्रयोगशाला रिपोर्ट में दिखाए अनुसार पहचान कोड प्रत्येक व्यक्तिगत बैग या खेप के पैकेजिंग फॉर्म पर दिखाई देना चाहिए।
- पहचान कोड आयातित माल के लिए अनन्य होना चाहिए।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हालांकि उन्होंने अब तक प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र स्वीकार कर लिया है, जब भी मूल शासकीय प्रमाणपत्र में कोई त्रुटि होती है, लेकिन आगे जाकर वे उचित प्रमाणपत्र के बिना खेप को अस्वीकार कर देंगे।

इस संबंध में, यूके और यूरोपीय संघ (ईयू) को मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातकों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त मार्गदर्शन नोटों का पालन करें और खेप के अलग-अलग बैग या प्रत्येक पैकेजिंग प्रपत्र में स्पष्ट रूप से पहचान कोड (बैच नंबर/लॉट नंबर) का उल्लेख करें। साथ ही, निर्यातक, शासकीय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय और प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करेंगे कि पैकेजिंग फॉर्म और दस्तावेज के बीच पहचान कोड में कोई बेमेल नहीं है।

आगे, यूके के साथ-साथ यूरोपीय संघ (ईयू) को निर्यात के लिए शासकीय प्रमाणपत्र जारी करने वाले बोर्ड के सभी कार्यालयों को शासकीय प्रमाणपत्र जारी करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का निदेश दिया जाता है। कार्यालय आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त बिंदुओं, जैसा लागू हो, मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यातकों द्वारा अनुपालन किया जाता है।



निदेशक(विपणन)

सेवा में,

मसालों व मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

स्पाइसेस बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय : बंगलुरु, चेन्नई, तूतिकोरिन, गुंटूर, मुंबई, कोलकाता,
नई दिल्ली, ऊंझा, एसआरडी कोच्ची

(फ़ाइल संख्या: सं. एसआरडी-ऑफ/0004/2019-विपणन से जारी)